न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 372/2022 दायर दिनाँक 31.08.2022

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मो0 असलम पुत्र दीन मोहम्मद 2. मो0 युसुफ पुत्र दीन मोहम्मद 3. मो0 युनुस पुत्र दीन मोहम्मद समस्त जाति देशवाली निवासीगण शेखाबासनी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना 2. मो0 हारून पुत्र दीन मोहम्मद जाति देशवाली निवासी शेखाबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री कमल मोठ वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 08.09.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा शेखाबासनी, पटवार हल्का दौलतपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान में राजस्व भूमि पुराना खसरा सं0 127 व 125 कुल रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा अवस्थित रही है। जिनके नये खसरा सं0 180 रकबा 0.8500 हैक्टे0 बारानी–2 भूमि जो वर्तमान राजस्थान सरकार के नाम राजस्व रेकर्ड वर्तमान में संयुक्त खातेदारी दर्ज है। उक्त खसरा सं0 180 की सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा, काश्त पहले वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 के पिता व दादा दीना वल्द रहीमा व रहीमा वल्द गुलाम का था और उनके स्वर्गवास के पश्चात अब कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 का है। नकल जमाबन्दी, खसरा मिलान एवं गिरदावरी सम्वत् 2006 से आज तक पेश है।

यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से ही उपरोक्त भूमियों पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 के पिता व दादा पूर्वज दीना वल्द रहीमा व रहीमा वल्द गुलाम की रही है। उनके स्वर्गवास के पश्चात अब उक्त सम्पूर्ण भूमि पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 का ही है।

यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रभाव सम्वत् 2012 में हुआ। उक्त सुंसगत समय से पूर्व भी उक्त भूमियों पर वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 के पिता के कब्जा काश्त की ही रही है। कार्यालय भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा बनाया गया प्रपत्र–1 के अनुसार भी उक्त कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 के पिता व दादा के कब्जा काश्त की ही रही है। कार्यालय भू–प्रबंधक विभाग द्वारा बनाया गया प्रपत्र–1 के अनुसार भी उक्त कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 के पिता व दादा दीना वल्द रहीमा व रहीमा वल्द गुलाब का ही है। उक्त प्रपत्र की प्रति पेश है। उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण खसरान् की भूमि पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 के पिता व दादा दीना वल्द रहीमा [illegible] रही है तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात अब उक्त सम्पूर्ण भूमियों [illegible] कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 का ही है। सम्वत् [illegible] आज तक की [illegible] पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

यह है कि उपरोक्त समस्त भूमियों पर वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 के पिता एवं दादा उनके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 के अलावा अन्य किसी का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही रहा है। आज भी लगातार बेरोक–टोक वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 का ही कब्जा काश्त है तथा वर्तमान में वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान पर वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 का है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से उपरोक्त वर्णित खसरा 180 की भूमि राजस्व महकमा कस्टोडियन दर्ज हो गया जबकि उक्त महमका कस्टोडियन के नाम से खातेदारी वाली भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 के कब्जा काश्त की भूमि रही है। जिस कारण से वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादीगण की इस प्रकार है:–

यह है कि मौजा शेखाबासनी, पटवार हल्का दौलतपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान में राजस्व भूमि पूराना खसरा सं0 127 व 125 कुल रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा अवस्थित रही है। जिनके नये खसरा सं0 180 रकबा 0.8500 हैक्ट0 बारानी–2 भूमि राजस्व रेकर्ड में खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 के नाम घोषित की जावें तथा उपरोक्तानुसार डिक्री वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी करने की कृपा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी का पेश हुआ।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीनी डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा शेखाबासनी, पटवार हल्का दौलतपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान में राजस्व भूमि पूराना खसरा सं0 127 व 125 कुल रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा अवस्थित रही है। जिनके नये खसरा सं0 180 रकबा 0.8500 हैक्ट0 भूमि में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 के नाम खातेदारी घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 08.09.2022 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:07 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **372/2022** दायर दिनाँक **31.08.2022**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मो0 असलम पुत्र दीन मोहम्मद 2. मो0 युसुफ पुत्र दीन मोहम्मद 3. मो0 युनुस पुत्र दीन मोहम्मद समस्त जाति देशवाली निवासीगण शेखाबासनी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना 2. मो0 हारून पुत्र दीन मोहम्मद जाति देशवाली निवासी शेखाबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **08.09.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री कमल मोठ वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा शेखाबासनी, पटवार हल्का दौलतपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान में राजस्व भूमि पूराना खसरा सं0 127 व 125 कुल रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा अवस्थित रही है। जिनके नये खसरा सं0 180 रकबा 0.8500 हैक्टे0 भूमि में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 के नाम खातेदारी घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।
नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **08.09.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल [illegible] के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner